आत्मनिर्भर भारत

भाग-2 : पलायन करने वालों और किसानों सहित गरीब

14.05.2020

सत्यमेव जयते
Government Of India

कोविड के बाद किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की गई

- **3 करोड़ किसानों** ने 4.22 लाख करोड़ के कृषि ऋण के साथ **3 महीने के ऋण स्थगन का लाभ उठाया।**
- **कृषि ऋणों पर ब्याज दरों** पर दी गई सब्सिडी और मान्य शर्तों के साथ कर्ज अदायगी प्रोत्साहन, **जो 1 मार्च को नियत था, उसे बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दिया गया है।**
- **25,000 करोड़ रुपये की ऋण सीमा के साथ 25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्डों** को मंजूरी दी गई।

कोविड के बाद किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नकदी सहायता प्रदान की गई

- 1.3.2020 से 30.04.2020 के बीच कृषि में **86,000 करोड़ रुपये के 63 लाख ऋणों** की मंजूरी दी गई।
- नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मार्च 2020 में **29,500 करोड़ रुपये** का पुनर्वित्तीयन।
- ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए मार्च 2020 के दौरान राज्योंत को **ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के अंतर्गत 4,200 करोड़ रुपये** प्रदान किए गए।
- मार्च, 2020 से कृषि उपज की खरीद के लिए मंजूर कार्यशील पूंजी की सीमा **राज्य सरकार की संस्थाओं के लिए 6,700 करोड़ रुपये** की गई।

पिछले 2 महीनों के दौरान पलायन करने वाले और शहरी गरीबों के लिए सहायता

- भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अनुमति दी कि वे **पलायन करने वालों के लिए आश्रय** की व्यवस्था करने और उन्हें भोजन और पानी आदि प्रदान करने के लिए **राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) का इस्तेंमाल करें।**
- **केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए 3 अप्रैल को अपने योगदान का 11002 करोड़ रुपया जारी किया ताकि उन राज्यों के एसडीआरएफ की राशि में वृद्धि हो सके।**
- लॉकडाउन के दौरान 28 मार्च 2020 से **शहरी बेघरों के आश्रयों में स्वच्छता से तैयार रोजाना तीन बार का भोजन दिया जा रहा है।**
- 12,000 स्व सहायता समूहों ने **3 करोड़ मास्क् और 1.20 लाख लीटर सेनिटाइजर** तैयार किया। इससे शहरी गरीबों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिले।
- गुजरात मेंस्व सहायता समूहों को रिवाल्विंग फंड (आरएफ) का वितरण अप्रैल 2020 में **पीएआईएसए पोर्टल** पर प्रायोगिक आधार पर किया गया था और अब मई 2020 में सभी राज्यों में शुरू किया जा रहा है।
- 15 मार्च 2020 से शुरू हुई अवधि के दौरान शहरी गरीबों के 7200 नये स्व सहायता समूह गठित किए गए।

लौट रहे प्रवासियों के लिए मनरेगा सहायता

- 13 मई 2020 तक 14.62 करोड़ मानव कार्य दिवस सृजित किये गए।
- **अब तक वास्तविक खर्च करीब 10,000 करोड़ रुपये है।**
- **1.87 ग्राम पंचायतों के मजदूरी चाहने वाले 2.33 करोड़ लोगों को कल काम की पेशकश की गई।**
- **पिछले वर्ष मई के मुकाबले 40-50% अधिक लोगों का नाम दर्ज किया गया।**
- **औसत मजदूरी दर पिछले वित्त वर्ष के 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई।**
- **वापस लौट रहे प्रवासियों का नाम दर्ज करने का अभियान शुरू किया गया है।**
- राज्यों /संघ शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि कानून के प्रावधानों के अनुसार वे प्रवासी श्रमिकों को काम दें।
- मानसून में भी मनरेगा कार्यों को जारी रखने की योजना : पौधा रोपण, बागवानी, मवेशियों के शेड।

श्रम कानून : कामगारों को दिए गए फायदे

- असंगठित कामगारों सहित सभी कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन के अधिकार का सामान्यीकरण और समयबद्ध वेतन का भुगतान- वर्तमान में सिर्फ 30 प्रतिशत लोगों पर ही न्यूनतम वेतन लागू है।
- नेशनल फ्लोर वेज की सांविधिक अवधारणा पेश की गई : इससे न्यूनतम वेतन के मामले में क्षेत्रीय असमानता में कमी आएगी।
- न्यूनतम वेतन के निर्धारण का सरलीकरण किया गया, जिससे न्यूनतम वेतन की दरों की संख्या में कमी आएगी और बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होगा।
- सभी कामगारों के लिए नियुक्ति पत्र की व्यवस्था- इससे औपचारिकता को प्रोत्साहन मिलेगा।
- कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था।
- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) संहिता खतरनाक प्रकृति के कार्यों से जुड़े प्रतिष्ठानों पर भी लागू, चाहे कामगारों की संख्या 10 से भी कम हो।

श्रम कानून : कामगारों को दिए गए फायदे

- अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों की परिभाषा में ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त प्रवासी कामगारों के अलावा प्रत्यक्ष रूप से नियोक्ता द्वारा नियुक्त प्रवासी कामगारों, खुद ही सीधे गंतव्य राज्य को आने वाले कामगारों को शामिल किया गया।
- प्रवासी कामगारों के लिए **कल्याण लाभ की पोर्टेबिलिटी (ले जाने के योग्य)।**
- **ईएसआईसी कवरेज का सिर्फ अधिसूचित जिलों/ क्षेत्रों की तुलना में संपूर्ण भारत** के सभी जिलों और 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों **तक विस्तार**।
- अनिवार्य आधार पर 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों तक ईएसआईसी कवरेज का विस्तार।
- 10 से कम कर्मचारियों वाले खतरनाक उद्योगों के कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से ईएसआईसी कवरेज को अनिवार्य किया गया।

श्रम कानून : कामगारों को दिए गए फायदे

- अस्थायी कामगारों (गिग वर्कर) और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना।
- छंटनीशुदा कर्मचारियों के लिए पुनर्कौशल कोष की पेशकश की गई।
- महिलाओं के रोज़गार के लिए लिए सभी व्यवसायों में अनुमति और सुरक्षा के साथ रात में काम करने की अनुमति दी गई।
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रावधान।
- निश्चित अवधि वाले रोजगार के लिए ग्रेच्युटी- 5 साल की तुलना में एक साल की सेवा पूर्ण करने पर ग्रेच्युटी का प्रावधान।

कल घोषित किए गए उपाय

सत्यमेव जयते Goverment Of India

सामान्य कारोबार और विशेष रूप से एमएसएमई के लिए कल कई उपायों का एलान किया गया। व्यवसायों के लिए सहायक कदमों को ठीक से समझाने के लिए एक बार फिर से उनका उल्लेख किया जा रहा है:

- **एमएसएमई सहित सभी व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आपात कार्यशील पूंजी सुविधा**।
- 200 करोड़ रुपये तक के सरकारी कार्यों के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
- जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के महीनों के वेतन के लिए अतिरिक्त 3 महीनों तक व्यवसायों और संगठित कामगारों के लिए ईपीएफ समर्थन का विस्तार- **इससे एमएसएमई और अन्य व्यवसायों में लगे कामगारों को अतिरिक्त तरलता (नक्दी) मिले**गी।
- सभी प्रतिष्ठानों और उनके कामगारों के लिए 3 महीने तक नियोक्ता और कर्मचारी ईपीएफ अंशदान 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया, सरकारी सहायता से बाहर कामगारों तक 3 महीने के लिए पीएमजीकेपी का विस्तार- **इससे मध्यम वर्ग के कर्मचारियों को भी सहायता मिलेगी- एमएसएमई और अन्य कारोबारों में लगे कामगारों को तरलता उपलब्ध होगी**।
- ईपीसी और रियायत (कन्सेशन) समझौते सहित ठेका संबंधी दायित्व पूरे करने के लिए छह महीने तक के विस्तार के द्वारा ठेकेदारों को राहत दी गई।
- धर्मार्थ (चैरिटेबल) ट्रस्टों और गैर निगमित (नॉन कॉरपोरेट) उद्यम और व्यवसायों को लंबित आयकर रिफंड के रूप में उद्योगों को तत्काल कर राहत दी गई है।
- वित्त वर्ष 20-21 की शेष अवधि के लिए 'स्रोत पर कर कटौती' (टीडीएस) और 'स्रोत पर कर संग्रह' (टीसीएस) की दरों में 25 प्रतिशत तक कटौती तथा विभिन्न कर संबंधी अनुपालन के लिए निश्चित तारीखें बढ़ाई गईं, **जिससे सभी कारोबारों को फायदा होगा।**

सत्यमेव जयते
Goverment Of India

प्रवासियों और किसानों सहित गरीब

प्रवासियों को 2 महीनों के लिए निशुल्क अनाज की आपूर्ति

- विभिन्न राज्यों के प्रवासियों को अनाज की सहायता की आवश्यकता है।
- **ऐसे प्रवासी जो न तो एनएफएसए हैं और न ही वे जिस राज्य में ठहरे हैं, वहां के राज्य कार्ड लाभार्थी हैं, उन्हें दो महीनों के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 - 5 किलोग्राम अनाज और प्रति परिवार एक किलोग्राम चना उपलब्ध कराया जाएगा।**
- लगभग **8 करोड़ प्रवासियों** के लाभान्वित होने की संभावना है।
- 2 महीने के लिए इस हस्तक्षेप पर **3500 करोड़ रुपये** की राशि खर्च की जाएगी।
- **यह लागत शत-प्रतिशत रूप से भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।**
- राज्य सरकारें कार्यान्वयन, प्रवासियों की पहचान और पूर्णत: वितरण तथा विस्तृत दिशानिर्देश उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होंगी।

प्रवासियों को मार्च 2021 तक भारत की किसी भी उचित दर दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन) तक पहुंच बनाने में समर्थ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा-वन नेशन वन राशन कार्ड

- प्रवासी परिवार अन्य राज्यों में भोजन प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं।
- यह योजना प्रवासी लाभार्थी को देश में किसी भी उचित दर दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगी (अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी 20 राज्यों में शुरु की गई है)
- **प्रधानमंत्री के प्रौद्योगिकी से प्रेरित प्रणालीगत सुधारों का भाग है।**
- **23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थी, जो पीडीएस आबादी का 83 प्रतिशत हैं, उन्हें अगस्त 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी द्वारा कवर किया जाएगा।**
- **मार्च, 2021 तक 100 प्रतिशत नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी।**
- **सभी राज्य/संघशासित प्रदेश मार्च 2021 तक सम्पूर्ण एफपीएस ऑटोमेशन सम्पन्न कर लेंगे।**

प्रवासी कामगारों/शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवासीय परिसर (एआरएचसी)

प्रवासी कामगारों/शहरी गरीबों को किफायती किराये पर मकान लेने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

सरकार **प्रवासी कामगारों/शहरी गरीबों के लिए पीएमएवाई के अंतर्गत एक योजना** शुरु करेगी, ताकि उन्हें निम्नलिखित के द्वारा किफायती किराये पर रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके,

i. पीपीपी मोड के अंतर्गत रियायतग्राहियों के माध्यम से **शहरों में सरकार द्वारा वित्त पोषित आवासों को किफायती किराये के आवासीय परिसर (एआरएचसी) में परिवर्तित करके;**

ii. **विनिर्माण इकाइयों, उद्योगों, संस्थाओं, संघों को उनकी निजी जमीन पर किफायती किराये के आवासीय** परिसर (एआरएचसी) विकसित और संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करके ; और

iii. **राज्य सरकार की एजेंसियों/केंद्र सरकार के संगठनों को इसी तर्ज पर किफायती किराये के आवासीय परिसर (एआरएचसी) विकसित और संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करके**

मंत्रालय विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा।

मुद्रा शिशु ऋणों के लिए 1500 करोड़ रुपये का ब्याज उपदान

- मुद्रा के तहत छोटे व्यवसायों को सबसे अधिक व्यवधान हुआ है और इसने उनकी ईएमआई का भुगतान करने की क्षमता को भी प्रभावित किया है।
- आरबीआई द्वारा ऋण अधिस्थगन पहले ही प्रदान किया जा चुका है।
- **मुद्रा-शिशु ऋण का वर्तमान पोर्टफोलियो** 1.62 लाख करोड़ (अधिकतम 50,000 रुपये) का है।
- भारत सरकार शीघ्र भुगतान करने वालों को **12 महीने** की अवधि के लिए **2 फीसदी का ब्याज उपदान** प्रदान करेगी।
- **इससे मुद्रा-शिशु ऋण लेने वालों को 1500 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।**

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5000 करोड़ रुपये की विशेष क्रेडिट सुविधा

- कोविड-19 के कारण सड़क विक्रेताओं की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव।
- सड़क विक्रेताओं तक ऋण की आसान पहुंच उपलब्ध करवाने के लिए सरकार **एक महीने के भीतर** एक विशेष योजना शुरू करेगी।
- **प्रारंभिक कार्यशील पूंजी 10,000 रुपये** तक की होगी।
- डिजिटल भुगतान को मौद्रिक पुरस्कारों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा और अच्छे पुनर्भुगतान व्यवहार के लिए बढ़ा हुआ कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- ये लगभग **50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स** को मदद करेगा।
- **5000 करोड़ रुपये की पूंजी** प्रदान करेगा।

सीएएमपीए फंड का उपयोग करते हुए रोजगार पर **6000** करोड़ का खर्च

- हमारे नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है।
- क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) की स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 के तहत की गई।
- जल्द ही **6000 करोड़ रुपये** की योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी।
- इसमें राज्य सरकारों द्वारा इन कार्यों के लिए निधि का उपयोग किया जाएगा -
  - **शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण और वृक्षारोपण कार्य**
  - कृत्रिम पुनर्जनन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन
  - वन प्रबंधन, मिट्टी और नमी संरक्षण कार्य
  - वन संरक्षण, वन और वन्यजीव संबंधी बुनियादी ढांचा विकास, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन आदि
- **शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अव**सर पैदा करेगा।
- जनजातियों / आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

सीएलएसएस के विस्तार के माध्यम से आवासीय क्षेत्र और मध्यम आय वर्ग को 70,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन

- मध्यम आय समूह (वार्षिक आयः 6-18 लाख रुपये) के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना मई 2017 से शुरू की गई थी।
- सीएलएसएस को 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था।
- इस योजना से अब तक 3.3 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ मिला है।
- **सरकार मार्च 2021 तक इस सीएलएसएस योजना का विस्तार करेगी।**
- 2020-21 के दौरान **2.5 लाख मध्यम आय वाले परि**वारों को लाभ होगा।
- इससे आवासन में **70,000 करोड़ रुपये** से अधिक के निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- **रोजगार पैदा करेगा।**
- इस्पात, सीमेंट, परिवहन और अन्य निर्माण सामग्री की मांग को उत्प्रेरित करेगा।

नाबार्ड के जरिए कसानों के लए **30,000** करोड़ रुपये का अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत अनुदान

- छोटे और सीमांत किसानों की अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए सहायता
- आरआरबी और ग्रामीण सहकारी बैंक ऋण के लिए मुख्य स्रोत
- **नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों और आरआरबी की फसल ऋण आवश्यकता के लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पुनर्वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगा**
- यह नाबार्ड द्वारा इस वर्ष के **दौरान सामान्य पुनर्वित्त व्यवस्था** के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले **90,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त** है
- 33 राज्य सहकारी बैंकों, 351 जिला सहकारी बैंकों और 43 आरआरबी को उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण के लिए **फ्रंट-लोडेड ऑन-टैप सुविधा**
- **लगभग 3 करोड़ किसान**, ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान **लाभान्वित होंगे**
- **मई-जून में फसल कटाई (रबी) के बाद और वर्तमान खरीफ सीजन** की आवश्यकता को पूरा करने के लिए

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती ऋण की व्यवस्था

- किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पीएम किसान के लाभार्थियों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए **विशेष अभियान** चलाया जाएगा
- इस अभियान में **मछुआरों और पशुपालन करने वाले किसानों** को भी शामिल किया जाएगा
- यह ऐसे किसानों को रियायती ब्याज दर पर संस्थागत ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा
- इस अभियान के तहत **2.5 करोड़ किसानों** को कुल मिलाकर लगभग **2 लाख करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध** कराएं जाएंगे

धन्यवाद